

पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिनियमों का परिचय



पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अधिनियमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी

पर्यावरण के लिए हर दिन नए खतरे उभर रहे हैं। मानव जनसंख्या में वृद्धि और साथ ही खपत में वृद्धि के कारण पर्यावरण पर कई प्रभाव पड़े रहे हैं। मानव पर्यावरण के बिना खुद को बनाए नहीं रख सकता है, लेकिन उसकी गतिविधियों ने पर्यावरण को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाई है।

पर्यावरण से संबंधित सबसे अधिक खतरों में से कुछ निम्नलिखित हैं:

- जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान (ग्लोबल वार्मिंग)
- प्राकृतिक संसाधनों का हास
- प्रदूषण
- वनोन्मूलन
- जैव विविधता का नुकसान



स्रोत: <https://public.wmo.int/en/media/press-release/state-of-climate-2018-shows-accelerating-climate-change-impacts>

इन मुद्दों से निपटने के लिए वास्तविक दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता है।

पर्यावरण संरक्षण क्या है?

पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन का उद्देश्य मौजूदा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना है और अतीत में हुई किसी भी क्षति को पूरा करना है। व्यक्तिगत, गैर-लाभकारी संगठन और सरकारें सभी इस आंदोलन का हिस्सा हैं। सरकारों ने भी इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कई अधिनियमों पेश किए हैं।

पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिनियम

पर्यावरण और वन मंत्रालय:

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण एवं वानिकी कार्यक्रमों के नियोजन, संवर्धन, समन्वय और उनके कार्यान्वयन की देखरेख के लिए केंद्र सरकार की प्रशासनिक संरचना में प्रधान एजेंसी है।
- यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के कार्यान्वयन के लिए भी यह भारत में प्रधान एजेंसी है।
- पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं
 - a) वनस्पतियों, जीवों, जंगलों और वन्यजीवों का संरक्षण और सर्वेक्षण
 - b) प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण,
 - c) वंचित क्षेत्रों का वनीकरण और उत्थान
 - d) विधानों के ढांचे में पर्यावरण का संरक्षण,
 - e) पशुओं का कल्याण।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:

- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन सितंबर, 1974 में जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 के तहत किया गया था
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियां तथा कार्य सौंपे गए।

- यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र निर्माण के रूप में कार्य करता है।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्य जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अनुसार
 - (i) जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण को कम से कम करके राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना, और
 - (ii) वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और देश में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या कमी करना।
- राज्यों के पास अपनी स्वतंत्र पर्यावरण नीति नहीं होती है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की गई नीतियों को कुछ विविधताओं के साथ अपनाते हैं जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो। केंद्र सरकार विभिन्न पर्यावरण मामलों पर राज्यों को दिशा-निर्देश भी जारी करती रहती है।

भारत में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों में से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

- यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी की पृष्ठभूमि के खिलाफ लाया गया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना था।
- इसने पर्यावरण के आधार पर उद्योगों के कार्यों को विनियमित करने और क्षेत्र विशेष की पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार को अधिकृत किया।
- यह कारखानों द्वारा प्रदूषकों के निर्वहन के लिए मानक भी निर्धारित करता है।
- इसमें खतरनाक अपशिष्ट/कचरे के प्रबंधन के लिए नियम दिए गए हैं और खतरनाक रसायनों के पृथक भंडारण के लिए भी निर्देश दिए हैं।
- इसमें एक छतरी जैसा ढांचा है जो केंद्र के साथ-साथ राज्य स्तरों पर पहले से मौजूद पर्यावरण कानूनों को लागू करने में केंद्र सरकार की सहायता करता है।




स्रोत: https://www.conserve-energy-future.com/wp-content/uploads/2013/06/Pollution_From_Indendens.jpg

जैवविविधता अधिनियम, 2002

- इसका उद्देश्य जैविक विविधता को संरक्षित करना और प्रौद्योगिकी और संयुक्त अनुसंधान और विकास के हस्तांतरण सहित जैविक संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करना है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार की अनुमति के बिना जैव विविधता संसाधनों के अर्जित ज्ञान के पेटेंट (एकाधिकार) करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- स्थानीय समुदायों को उनके ज्ञान और संसाधनों के उपयोग पर अधिक नियंत्रण दिया गया।
- स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC), राज्य जैव विविधता बोर्डों (SBB) और एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की स्थापना की गई।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010

- यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष ट्रिब्यूनल (अधिकरण) बनाया गया है कि पर्यावरण आधारित मामलों पर तेजी से कार्रवाई की जाए।
- ऐसे अधिकरण से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि कार्बन उत्सर्जन का स्तर हानिकारक डिग्री तक न पहुंचे। यह "प्रदूषण भुगतान" सिद्धांत को अपनाकर ऐसा करता है।
- यह प्रभावित लोगों को राहत और मुआवजा भी प्रदान करेगा, जब भी आवश्यकता होगी।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम एनजीटी अधिनियम की अनुसूची 1 में रखे गए हैं।
- इसे अधिक सुगम बनाने के लिए पूरे भारत में पांच स्थानों पर बैठने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें नई दिल्ली प्रमुख बेंच के रूप में सेवारत थी।



स्रोत: <https://scroll.in/article/862040/centres-move-to-change-appointment-rules-leaves-national-green-tribunal-with-crippling-staff-runch>

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000

- अधिनियम का उद्देश्य लाउडस्पीकरों और सार्वजनिक अभिभाषण प्रणालियों के उपयोग को नियंत्रित करके ध्वनि प्रदूषण के स्तर को कम करना है।
- यह रात के समय बंद परिसर के भीतर ही ध्वनि एम्पलीफायर का उपयोग करने की अनुमति देता है।

- अन्य शोर उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया जैसे रात के समय में भोंपू बजाना और निर्माण कार्य करना।



स्रोत: <https://www.scconline.com/blog/post/2017/04/18/use-of-loudspeaker-or-public-address-system-prohibited-from-10-pm-to-6-m>

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

- इसने संरक्षित पौधों और जानवरों के सूचीपत्र की स्थापना की, जिन प्रजातियों की क्रमशः कटाई और शिकार निषिद्ध था।
- 2002 के मौजूदा अधिनियम में संशोधन ने सजा और जुर्माने को और कठोर बना दिया।
- पशु वस्तुओं में व्यापार से संबंधित अपराधों को भी दंडित किया जाएगा। इसका उद्देश्य अवैध व्यापार, तस्करी और अवैध शिकार को नियंत्रित करना है।



स्रोत: <https://www.britannica.com/topic/poaching-law>

वन संरक्षण अधिनियम, 1980

- इसका उद्देश्य केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति के बिना गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को रोक कर और वनों के आरक्षण को समाप्त करके भारतीय वनों का संरक्षण करना है।
- यह अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य वनवासियों को कुछ अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है।
- अधिनियम का उद्देश्य वनों की कटाई को नियंत्रित करना था।

कुछ अन्य अधिनियम

- राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्रविधिकरण अधिनियम, 1997
- नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2000
- बायोमेडिकल अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 1998
- ओजोन अवक्षय करने वाले पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000
- सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991

पर्यावरणीय एन.जी.ओ.

गैर-सरकारी संगठन पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उन क्षेत्रों की पहचान करके सरकार की सहायता करते हैं जिन्हें विकास की आवश्यकता होती है और अधिकारियों को पर्याप्त नीति उपायों का मसौदा तैयार करने में भी मदद करते हैं। कई भारतीय एनजीओ सरकार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में सफल रहे हैं। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं।

- ऊर्जा और संसाधन संस्थान (TERI)
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
- वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF)
- भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट (WTI)



स्रोत: <https://www.greengrowthknowledge.org/organization/world-wide-fund-nature-wwf>

अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय विधान (कानून)

पर्यावरण संरक्षण संयुक्त राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। यह सतत विकास का एक मॉडल बनाना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) वैश्विक और क्षेत्रीय स्तरों पर चिंताओं को संबोधित करता है। यह राष्ट्रीय सरकारों के माध्यम से अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देकर अपने सतत विकास के मॉडल को बढ़ावा देना चाहता है। यह ऐसा वैश्विक पर्यावरण कार्यसूची स्थापित करने में विकासशील देशों की सरकारों का समर्थन करके करता है।

यह संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों के साथ एकजुट होकर काम करता है जैसे:

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन
- संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन)

दुनिया भर के सबसे प्रभावी पर्यावरण संरक्षण कानूनों में से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं। इस सूची में गैर-बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधियों के साथ-साथ क्षेत्र विशिष्ट अधिनियम भी शामिल हैं।

- सीमा पार धुंध प्रदूषण पर आसियान समझौता
- जैविक हथियार सम्मेलन

- रासायनिक हथियार सम्मेलन
- व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि
- जंगली वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन
- जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन (ढांचागत सम्मलेन)
- जिनेवा प्रोटोकॉल
- क्योटो प्रोटोकॉल
- ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना सम्मलेन

पर्यावरण संरक्षण कानून अक्सर एक आपदा के बाद तैयार किए जाते हैं। इन कानूनों की उन कानूनों की तुलना में अधिक आक्रामक होने की संभावना होती है जो एक निवारक उपाय के रूप में तैयार किए गए थे। ये और भी प्रभावी हो सकते हैं।

आज के समय और युग में पर्यावरण संबंधी चुनौतियां सभी जगहों पर सरकारों के लिए सबसे अहम समस्याओं में से हैं। इसके अलावा, उन्हें अपनी सफलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वॉर्मिंग जैसी समस्याएं के कारण विश्वभर में पर्यावरण के क्षरण के निहितार्थ को महसूस किया जा सकता है। ये समस्याएँ अपने प्रभाव में को डालने में भेदभाव नहीं करती हैं और इसका सामना एक संयुक्त वैश्विक समुदाय द्वारा किया जाना चाहिए।

Introduction to Acts for Protection of the Environment

New threats to the environment are emerging every day. An increase in the human population coupled with a subsequent increase in consumption has placed several strains on the environment. Human beings cannot sustain themselves without the environment yet their activities have done irreversible damage to the environment.

Some of the most concerning threats to the environment are:

- Climate change and global warming
- Depleting natural resources
- Pollution
- Deforestation
- Loss of biodiversity



Source: <https://public.wmo.int/en/media/press-release/state-of-climate-2018-shows-accelerating-climate-change-impacts>

There is an urgent need for a hand-on approach to deal with these issues.

What is Environmental Protection?

- The movement for environmental protection aims to conserve the existing natural environment and undo any damage caused in the past. Individual, non-profit organizations and governments are all part of this cause. Governments have also introduced acts, keeping in mind these goals.

Acts for Protection of the Environment

Ministry of Environment & Forests:

- The Ministry of Environment & Forests is the nodal agency in the administrative structure of the Central Government, for the planning, promotion, co-ordination and overseeing the implementation of Environmental and Forestry programmes.
- It is also the Nodal agency in India for the implementation of the United Nations Environment Programme (UNEP).

The principal activities undertaken by Ministry of Environment & Forests consist of:

- a) Conservation & survey of flora, fauna, forests and Wildlife,
- b) Prevention & control of pollution,
- c) Afforestation & regeneration of degraded areas,
- d) Protection of environment in the framework of legislations,
- e) Welfare of animals.

Central Pollution Control Board

- The Central Pollution Control Board is a statutory organisation that was constituted in September, 1974 under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.
- CPCB was entrusted with the powers and functions under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.
- It serves as a field formation providing technical services to the Ministry of Environment and Forests of the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986.
- Principal functions of the CPCB, as spelt out in the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, to
 - (i) Promote cleanliness of streams and wells in different areas of the States by prevention, control and minimising of water pollution, and
 - (ii) Improve the quality of air and to prevent, control or abate air pollution in the country.
- The states do not have their independent environmental policy but adopt the policies formulated at the national level subject to such variations as may be necessary to suit to the local conditions. The central government has also been issuing guidelines to the states on various environmental matters.

Listed below are some of the most important acts in India.

Environment Protection Act, 1986

- The act was introduced against the backdrop of the Bhopal Gas Tragedy. It was aimed at protecting and improving the environment.
- It authorised the central government to regulate the functions of industries on environmental grounds and tackle region-specific environmental problems.
- It also set standards for discharge of pollutants by factories.
- It gave rules for management of hazardous waste and provided for isolated storage of hazardous chemicals.
- It has an umbrella-like framework that seeks to aid the central government in implementing pre-existing environmental laws at the central as well as state levels.



Source: https://www.conserve-energy-future.com/wp-content/uploads/2013/06/Pollution_From_Industries.jpg

Biological Diversity Act, 2002

- It aims at preserving biological diversity and ensuring equitable distribution of biological resources, including transfer of technology and joint research and development.
- The act prohibited the patenting of any knowledge accruing out of biodiversity resources without the permission of the Indian government.
- Local communities were given greater control over the use of their knowledge and resources.
- Biodiversity Management Committees (BMC), State Biodiversity Boards (SBB) and a National Biodiversity Authority (NBA) were set up at the local, state and national level respectively.

National Green Tribunal Act, 2010

- It created a special tribunal to ensure that environment-based cases are dealt with in a speedy manner.
- Such a tribunal can help in ensuring that the carbon emission levels don't reach a harmful degree. It does so by adopting the "polluter pays" principle.
- It would also provide relief or compensation to the affected people, as and when required.
- The Environment Protection Act, the Forest Conservation Act and the Biodiversity Act were laid out in Schedule I of the NGT Act.
- In order to make it more accessible five places of sitting were set up all over India, with New Delhi serving as the principal bench.



Source: <https://scroll.in/article/862040/centres-move-to-change-appointment-rules-leaves-national-green-tribunal-with-crippling-staff-crunch>

Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000

- The act aims at reducing noise pollution levels by regulating the use of loudspeakers and public address systems.
- It permitted the use of a sound amplifier only within closed premises during night time.
- Restrictions were also imposed on other noise producing activities like honking and construction work during the night time.



Source: <https://www.sconline.com/blog/post/2017/04/18/use-of-loudspeaker-or-public-address-system-prohibited-from-10-pm-to-6-am/>

Wildlife Protection Act, 1972

- It established schedules of protected plants and animals, the harvesting and hunting of these species respectively was prohibited.
- A 2002 amendment to the existing act made the punishment and penalty more stringent.
- Offences related to trade in animal articles will also be penalised. The objective is to control illegal trade, smuggling and poaching.



Source: <https://www.britannica.com/topic/poaching-law>

Forest Conservation Act, 1980

- It aims to conserve Indian forests through disallowing de-reservation of forests and use of forest land for non-forest purposes without prior permission from the central government.
- It provides certain rights and protections to the Scheduled Tribes (ST) and other forest dwellers.
- The act was aimed at controlling deforestation.

Some Other Acts

- National Environment Appellate Authority Act, 1997
- Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000
- Biomedical Waste (Management and Handling) Rules, 1998
- Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000
- Public Liability Insurance Act, 1991

Environmental NGOs

Non-governmental organisations play a crucial role in environmental protection. They assist the government by identifying areas that need development and help officials draft adequate policy measures. Many Indian NGOs have been successful in influencing the government positively. Some of them are listed below.

- The Energy and Resource Institute (TERI)
- Central Pollution Control Board (CPCB)
- World Wide Fund for Nature (WWF)
- Wildlife Trust of India (WTI)



Source: <https://www.greengrowthknowledge.org/organization/world-wide-fund-nature-wwf>

International Environmental Laws

- Environmental protection is one of the foremost goals of the United Nations. It seeks to create a model of sustainable development. The United Nations Environment Programme (UNEP) addresses pressing concerns at the global as well as regional levels. It seeks to promote its model of sustainable development by promoting its objectives through national governments. It does so by supporting the governments of developing countries in setting up the global environmental agenda.

It works hand-in-hand with other UN organisations like:

- United Nations Framework Convention on Climate Change
- United Nations Convention to Combat Desertification

Some of the most impactful environmental protection laws from all over the world are listed below. This list includes non-binding international treaties as well as region specific acts.

- ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution
- Biological Weapons Convention
- Chemical Weapons Convention
- Comprehensive Test Ban Treaty

- Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna
- Framework Convention on Climate Change
- Geneva Protocol
- Kyoto Protocol
- Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer

Environmental protection laws are often drafted following a disaster. These laws are likely to be more aggressive than laws which were drafted as a preventive measure. They may even be more effective.

- In today's day and age, environmental challenges are some of the most pressing problems faced by governments everywhere. Moreover, they require international cooperation for their success.
- This is because the implications of environmental degradation can be felt all over the world with problems like climate change and global warming. These problems don't discriminate in the effect that they have and must be combated by a united global community.

gradeup